39/013

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 423658

14-6-13

कार्यालय का नाम - **उपनिबन्धन सदर, आजमगढ़।**

१.	प्रस्तुत करने की तिथि	-	**१४.०६.२०१३**
२.	निष्पादन की तिथि	-	**१४.०६.२०१३**
३.	प्रस्तुतकर्ता की नाम व पता-		श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री रामकृष्ण, प्रबन्धक निवासिनी ग्राम-बेलईसा, (नीबी), पो० व तह०-सदर जनपद-आजमगढ़ उ०प्र०
४.	विलेख की प्रकृति	-	**ट्रस्टनामा**
५.	प्रतिफल	:	१८०००/रू०
६.	निष्पादन का नाम व पूरा पता-		श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री रामकृष्ण, प्रबन्धक निवासिनी ग्राम-बेलईसा, (नीबी), पो० व तह०-सदर जनपद-आजमगढ़ उ०प्र०।
७.	ट्रस्ट का नाम व पता	-	**रामकृष्ण वैभव मानव संशाधन विकास ट्रस्ट नीबी, बेलईसा, सदर, आजमगढ़**
८.	कुल अदा किया गया स्टाम्प-		रू० ११००/रू०

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 423659

हम कि रीना देवी पत्नी रामकृष्ण ग्राम-बेलईसा, (नीबी) पो०-व, तह०-सदर, जनपद-आजमगढ़ की मूल निवासिनी हूँ ।

हम मुकिरा एक ट्रस्ट की स्थापना कर रही हूँ तथा इसके कार्य रूप में वर्णित कर रही हूँ। हम मुकिरा का लगाव हमेशा गरीबो की मदद करना व शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। हम मुकिरा का उद्देश्य व मंशा को कार्य रूप मे लाने के लिये इस धर्मार्थ ट्रस्ट का विलेख हम मुकिरा अपने परिवार के सहयोग व इच्छा से आज दिनांक १४.०६.१३ को स्वेच्छा से पूरी तरह विचार कर स्वच्छ मन से निष्पादित कर रही है जो प्रमाण रहे जो वक्त पर काम आवे।

१.- **ट्रस्ट का नाम** - रामकृष्ण वैभव मानव संशाधन विकास ट्रस्ट, नीबी, बेलईसा, सदर, आजमगढ़।

२. **ट्रस्ट का मुख्यालय**- इसका मुख्यालय हमेशा कैम्प कार्यालय ग्राम-नीबी, बेलईसा, मोहम्मदल्ला सदर, आजमगढ़ रहेगा । केवल कार्य की आवश्यकता को देखते हुये मुख्यालय ट्रस्टी के संस्थापक मण्डल के दो तिहाई बहुमत से ही अन्यत्र खोला जा सकेगा तथा ट्रस्ट मण्डल के बहुमत से इसकी शाखा कार्यालय अन्यत्र खोला जा सकेगा।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BG 423660

३. **ट्रस्ट का क्षेत्र** -सम्पूर्ण भारत

४. **ट्रस्ट का उद्देश्य** -

(क)- लोगो का सामाजिक आर्थिक शैक्षिक अध्यात्मिक शारिरिक व्यवसायिक एवं बौद्विक विकास करना।

(ख) लड़के व लड़कियो के लिये सामान्य शिक्षा उच्च शिक्षा रोजगार परक व आय परक तकनीकी एवं व्यवसायिक अध्यात्मिक व पालिटेक्निक कालेज व आई०टी०आई०, इंजीनियरिंग, बी०टी०सी०, बी०एड०, बी०पी०एड०, सी०पी०एडव व विधिक कालेज व क्राफ्ट प्रशिक्षण कम्प्यूटर एवं प्राविधिक मेडिकल व वैज्ञानिक शिक्षण व प्रशिक्षण सिलाई , कढाई इत्यादि संस्थाओ की स्थापना करना उनका संचालन करना तथा उस क्रम में विभागीय केन्द्रो, प्रकोष्ठो आदि की स्थापना करना एवं सम्बन्धित पाठ्यक्रमो को लागू करना पूर्व में संचालित सस्थाओ मे इसी ट्रस्ट की नियमावली लागू तथा इसी ट्रक अधीन कार्य करेगा।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 423661

(ग) आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगो महिलाओं छात्रो एवं छात्राओं बच्चों तथा बूढ़ो एवं निरक्षर मूक बाधिरो के लिये कल्याणकारी योजनाओ का कार्यान्वयन करना।

(घ) गरीब व्यक्तियों के निदान के लिये दवाओ का वितरण करना तथा अस्पताल स्थापित करने की सेवाऐ हासिल करके उनको सस्ती व मुफ्त चिकित्सीय सुविधा मुफ्त कराना तथा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आदि का आयोजन करना।

(ड) ग्रामीण क्षेंत्रा मे शिक्षा का विस्तार बेरोजगारो के लिये रोजगार तथा प्राविधिक शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा एवं विधि कालेज खोलना व रोजगार परक शिक्षा पर विशेष बल देना।

(च)- संस्कृत वैज्ञानिक, धार्मिक एवं तकनीकी कार्यक्रमो का आयोजन करना व उनकी व्यवस्था करना।

(छ)- पुस्तकालय व वाचनालय व छात्रावास व्यायामशाला व प्रयोगशाला की व्यवस्था करना।?

(ज) समाज के सभी वर्गो के होनहार, परिश्रमी व कुशल बुद्धि के छात्रों के लिये विभिन्न सामान परीतोषित छात्रवृति एवं अनुदान की यथासम्भव व्यवस्था करना व अन्य सुविधाये प्रदान करना, निराश्रितो हेतु अनाथालय बृद्धाश्रम तथा यात्रियो के धर्मशाला आदि का निर्माण करना।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 423662

(झ) भारत सरकार व प्रदेश सरकार व स्वेच्छिक एन०जी०ओ० द्वारा प्राप्त सहभागीता योजनाओं को संचालित करना।

(ञ) लोक जन कल्याण के लिये आधुनिक वाहन का भी क्रय विक्रय कर सकता है।

(ट) ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट मण्डल के अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट मण्डल की सहमति से नियमानुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैक अथवा संस्था से लोन ले सकता है लोन की अदायगी करने के लिये ट्रस्ट मण्डल बाध्य होगा

ट्रस्ट मण्डल के अध्यक्ष/प्रबन्धक को यह अधिकार होगा कि वह राष्ट्रीकृत बैक मे अपने नाम से खाता खोला सकता है।

५- उपरोक्त हेतु यह ट्रस्ट बिना किसी भदभाव के उपर्युक्त प्रकार से लोक कल्याण के कार्यो को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेगा जिसके लिये व्यक्तियों जनप्रतिनिधियों से व संगठनो से संस्थाओं तथा सरकार से अनुदान चन्दा, दान क्रय संविदा तथा अन्य वैध तरीको द्वारा चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त व अर्जित कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट के अध्यक्ष/प्रबन्धक को यह अधिकार होगा कि ट्रस्ट के दो तिहाई सदस्य से अनुमति लेकर ट्रस्ट की जमीन क्रय विक्रय कर सकता है।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BK 802397

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

क्रसं०	नाम	उम्र	पिता/पति का नाम	पता	पेशा
१.	श्रीमती रीना देवी	४४ वर्ष	पत्नी रामकृष्ण (प्रबन्धक/अध्यक्ष) /सचिव	ग्राम-बेलईसा, (नीबी) पो०-सदर तह०-सदर, जिला-आजमगढ़	
२.	श्री रामकृष्ण	४८ वर्ष	पुत्र चन्द्रशेखर	ग्राम-बेलईसा, (नीबी) पो०-सदर तह०-सदर, जिला-आजमगढ़	
३.	सौरभ बर्नवाल	२१ वर्ष	पुत्र रामकृष्ण	ग्राम-बेलईसा, (नीबी) पो०-सदर तह०-सदर, जिला-आजमगढ़	
४.	वैभव बर्नवाल	१८ वर्ष	पुत्र रामकृष्ण	ग्राम-बेलईसा, (नीबी) पो०-सदर तह०-सदर, जिला-आजमगढ़	
५.	सुरेश चन्द्र बर्नवाल	४७वर्ष	पुत्र स्व० शारदा प्रसाद	मुह०-हनुमान मन्दिर चौराहा पो० व तह०-सदर, जनपद-देवरिया	

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 802398

६. उपरोक्त ट्रस्टीगण ट्रस्ट के प्रथम व प्रारम्भिक ट्रस्टीगण है जिनके द्वारा ट्रस्ट की वर्तमान सम्पत्ति संकल्पित व निहित हुई है। इस ट्रस्ट की स्थापना करने वाले उपरोक्त ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट के आजीवन संस्थापक सदस्य रहेगे और इस संस्थान के संस्थापक मण्डल के रूप में प्रतिष्ठित रहेगे। ट्रस्ट द्वारा निर्मित किसी भी चल व अचल सम्पत्ति में ब्लड सम्बन्धित व्यक्ति के अलावा किसी दुसरे का अधिकार इस ट्रस्ट पर नही होगा।

७. यह कि ट्रस्टीगण की संख्या अधिक से अधिक १३ हो सकती है जो कि आश्यकता पड़ने पर वर्तमान ट्रस्टीगण के बहुमत से बन सकते है तथा इस ट्रस्ट के ट्रस्टीगण की बालिग संतान जो स्वस्थचित का हो तथा इस ट्रस्ट मे आस्था रखता हो तथा ज्येष्ठ पुत्र के न रहने पर उसके अन्य भाई प्रबन्धक के सारे कार्य करेगे व ट्रस्टीगण होते रहेगे।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 802399

८. यह कि उपरोक्त ट्रस्टीगण है जिनके योगदान व सहयोग से वर्तमान सम्पत्ति मु० १८०००/रू० के संकल्प समर्पण व प्रदान पर इस ट्रस्ट का सृजन हो रहा है और भविष्य मे उपरोक्त ट्रस्टी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई अन्य चल-अचल सम्पत्ति वसीयत दान, अनुदान की अथवा संविदा पट्टा द्वारा अर्जित प्राप्त या स्वीकार कर सकते है। उपरोक्त ट्रस्टीगण इसके द्वारा संचालित संस्थाओं के भी आजीवन संदस्य रहेगे तथा इस ट्रस्ट के सदस्य श्रीमती रीना देवी पत्नी श्री रामकृष्ण ग्राम-बेलईसा, (नीबी) पो०-सदर, तह०-सदर, जिला-आजमगढ़ सचिव/प्रबन्धक होगी तथा मुख्य कार्याधिकारी होगी तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के भी अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक आजीवन रहेगे।

९. यह कि प्रत्येक ट्रस्टी के लिये ट्रस्ट के कार्यो मे पूरी दिलचस्पी लेना आवश्यक होगा और यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट मण्डल के चार बैठको मे अनुपस्थित रहेगा तो ट्रस्ट मण्डल को अधिकार होगा कि उस ट्रस्टी को नोटिस के उपरान्त ट्रस्टी के पद से मुक्त कर सकते है।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 802400

१० यह कि ट्रस्ट का अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक इस ट्रस्ट के मुख्य कार्याधिकारी होगे तथा ट्रस्ट मण्डल के निर्णय के अनुसार ट्रस्ट का प्रबन्धन करेगा तथा उन्हे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

११ यह कि अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक का मृत्यु होने पर या त्याग पत्र देने पर ट्रस्टीगण को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की निष्पादक **श्रीमती रीना देवी** के पुत्रो के श्रेष्ठता क्रम नसल बनसल मे से ही किसी को अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक का चयन बहुत से करेगे।

१२. यह कि ट्रस्ट मण्डल की बैठ्क कम से कम एक वर्ष मे दो बार अवश्य होगी जिसमें ट्रस्ट के संचालन व क्रियाकलापो पर विचार व वर्ष मे एक वार्षिकोत्सव होगा जिसमें ट्रस्ट द्वारा सचालित संस्थाओं के क्रियाकलापों व हिसाब किताब का लेखाजोखा होगा तथा अन्य व आवश्यक निर्णय लिये जायेगे।

१३. यह कि ट्रस्ट की सम्पूर्ण धनराशि किसी रजिस्टर्ड बैक या पोस्ट आफिस मे ट्रस्ट के नाम से खाता कर जमा किया जायेगा जिसका संचालन जरिये अध्यक्ष व सचिव/प्रबन्धक संयुक्त रूप से करेगे।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 315663

१४ यह कि ट्रस्ट मे एक कोषाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति ट्रस्टी मण्डल अपने बहुमत से तीन वर्ष के लिये करेगा। कोषाध्यक्ष के लिये आवश्यक होंगा कि हिसाब किताब का ब्योरा सचिव से लेकर रखे तथा उसका आडिट प्रतिवर्ष कराये तथा प्रतिवर्ष ट्रस्ट मण्डल मे उसे पास करायें।

१५. यह कि ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये गये संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिये उस संस्थान के विशेष नियमो के नियमावली बनाने का अधिकार ट्रस्टी मण्डल को होगा तथा ट्रस्टी मण्डल उन नियमो व उप नियमों को समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर सकेगा।

१६. यह कि ट्रस्ट द्वारा संस्थापित व संचालित प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिये ट्रस्ट मण्डल को अपना एक उप समिति भी गठित करने का अधिकार होगा जिसमे ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञो को भी ट्रस्ट मण्डल में मनोनीत कर सकेगा तथा इस प्रकार से नियुक्ति की गयी उप समिति के अधिकार उसका कार्यकाल और कार्यक्षेत्र ट्रस्ट मण्डल को निश्चित करने का अधिकार होगा और उक्त समितियां ट्रस्ट मण्डल के बहुमत के निर्णयो एवं आदेशो का पालन करेगी। ट्रस्ट मण्डल को उक्त उप समितियों को भंग करने उनके सदस्यों को नियुक्त करने तथा विमुक्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 315664

१७ यह कि ट्रस्ट को किसी भी निगम द्वारा प्रशासन व किसी भी व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट के नाम से जमीन जायदाद प्राप्त करने तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रतिष्ठानों के लिये भवन निर्माण व उसके लिये उपयोगी वस्तुओ का खरीद व व्यवस्था आदि करने का अधिकार होगा। ट्रस्ट को यह भी अधिकार होगा कि कोई सम्पत्ति अथवा धन किसी से दान रूप मे प्राप्त करे अथवा कोई सम्पत्ति अपने उद्देश्यो की पूर्ति के लिये खरीदे या पट्टे या संविदा पर प्राप्त करे तथा किसी विशेष परिस्थिति मे ही ट्रस्ट मण्डल के तिहाई बहुमत के प्रस्ताव से ट्रस्ट की सम्पत्ति अन्तरण की जा सकेगी।

१८. यह कि ट्रस्ट की अपनी आमदनी बढाने के लिये अन्य आवश्यक कार्य जैसे दुकाने बाजार आदि बनवाकर किराये पर उठाने का अधिकार होगा। उक्त आमदनी जो कि दुकानों तथा अन्य प्रकार से होगी वह आमदनी ट्रस्ट के कार्यो हेतु निहित होगी।

१९. यह कि ट्रस्ट की ओर से व उसके द्वारा स्थापित व संचालित संस्थाओं की प्रत्येक कानूनी कार्यवाही करने का एक मात्र अधिकार ट्रस्ट के सचिव/प्रबन्धक को होगा तथा आजमगढ़ न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

तीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 21AA 826496

१० **<u>ट्रस्टीगण/ट्रस्टी मण्डल के कर्तव्य एवं अधिकार</u>** :-

(क)- इस ट्रस्ट का उचित प्रचार व प्रसार करना और उसे जनप्रिय तथा जनोपयोगी बनाना।

(ख) विधि के अनुसार हर आवश्यक व उचित कार्य करना तथा उसके लिये हर तरफ से प्रयत्नशील रहना।

(ग) ट्रस्ट सम्पत्ति का पूर्ण विवरण रखना उसका लेखा जोखा रखना तथा समय-समय पर आडिट कराना।

(घ) उपरोक्त ट्रस्ट के अस्तित्व को निरन्तर स्थिर रखना तथा कार्यक्षेत्र एवं सदगुणों का विस्तार करना।

(ड) ट्रस्टी मण्डल की वर्ष मे कम से कम दो बार पूर्व सूचना के आधार पर बैठक करना आपातकालीन परिस्थिति मे विशेष बैठक की व्यवस्था करना तथा बैठक मे कार्यवाही पजिका उसकी सम्पत्ति व आय व्यय आदि का लेखा जोखा व विवरण रखना। ट्रस्ट द्वारा समस्त संचालित तथा स्थापित संस्थाओं के विघटन होने पर ट्रस्ट मण्डल का एकल पूर्ण स्वामित्व होगा।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 826497

(च)- द इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट १८८२ अथवा तत्कालीन विधि के अनुरूप और पारम्परिक रीति रिवाज और व्यवहार के अनुसार आवश्यक कार्य करना।

(छ) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त अनुरक्षण मेन्टिनेन्स के समुचित उपयोग हेतु सुनिश्चित करना ट्रस्ट के लिये सभी प्रकार के अनुदान दान उपहार लाभांस तथा चन्दा आदि प्राप्त करना।

(ज) ट्रस्ट के विभिन्न विद्यालयों केन्द्रो पाठ्यक्रमों संस्थाओं विभागो आदि के लिये उससे सम्बन्धित विधि एवं नियमो का अनुपालन करना और उसके अनुरूप उसकी स्थापना संचालन एवं प्रबन्धन की व्यवस्था करना तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित इन विद्यालयों महा विद्यालयों केन्द्रो संस्थाओं एवं प्रबन्ध ट्रस्ट मण्डल ही करेगा।

(झ) ट्रस्ट/संस्था के वैतनिक कर्मचारियो की नियुक्ति करना, स्थानान्तरण करना पदोन्नति करना उनके चरित्र पंजिकाओं मे दर्ज करना व उस पर निर्णय करना तथा उन्हे पदच्यूक्त करना।

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 21AA 826498

(ञ) ट्रस्ट मण्डल अपने सदस्यों का चयन कार्यो के क्रियान्वयन, उद्देश्यों का विस्तार उप समिति के निर्देश संस्थाओं के संचालन कर्मचारियों के चयन निष्काशन आदि का निर्णय अन्तिम होगा । निर्णयों को कही व किसी न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकेगी।

(ट) किसी प्रकार का वाद **आजमगढ़** न्यायालय के न्याय क्षेत्र मे आयेगा।

(ठ) ट्रस्ट विलेख नियुक्ति सम्बन्धित दस्तावेज व कार्यवाही पुस्तिका चल एवं अचल सम्पत्ति के अर्जित करने के क्रम में प्राप्त अभिलेख प्रबन्धक के पास ही सुरक्षित रहेगे। जिन्हे आवश्यकतानुसार ट्रस्टी मण्डल द्वारा मांगे जाने पर आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

(ड) ट्रस्टी मण्डल की प्रथम बैठक मे व समय-समय पर पदाधिकारियों के अन्य दायित्वों कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धारित किया जायेगा। जो विधि सम्मत हो।

(ढ) ट्रस्ट के कार्यो एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि वे कार्य के लिये ट्रस्टी मण्डल दो तिहाई बहुमत से विश्वसनीय सयोग्य पात्र व ट्रस्ट के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों को देश प्रदेश जिलों ब्लाको व ग्राम पंचायतों मे तीन वर्षीय प्रबन्धन तन्त्र की

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

INDIA

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AA 826499

नियुक्ति लिखित प्रस्ताव से कर सकेगा जो हर तीन वर्ष की समाप्ति पर नियुक्ति होती रहेगा तथा इस पर ट्रस्टी मण्डल का पूर्ण नियन्त्रण रहेगा।

(ण) उपरोक्त के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट १९८२ एवं तत्कालीन विधि द्वारा प्राप्त अधिकार एवं दायित्व जो उपरोक्त व्यवस्थाओ के प्रतिकूल न हो।

२१ <u>गणपूर्ति</u> - ट्रस्टी मण्डल की दो तिहाई सदस्यो की उपस्थिति मे प्रबन्धन समिति ट्रस्टी मण्डल की समस्त बैठको की गणपूर्ति माना जायेगी।

२२. <u>सदस्यता की समाप्ति</u> - ट्रस्ट की सदस्यता निम्न परिस्थित मे समाप्त समझी जायेगी।

(क) किसी सदस्य की मृत्यु होने पर

(ख)- किसी सदस्य के पागल अथवा ट्रस्ट मे हेराफेरी व अवैध कार्य करने पर

(ग) किसी सदस्य के अनैतिक अपराध मे लिप्त होने पर

(घ) किसी सदस्य के सदस्यता से त्याग पत्र देने की दशा मे अध्यक्ष के अनुमोदन पर

रीना देवी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 21AA 826500

२३- संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टधारियों को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय मीटिंग बुला कर दो तिहाई बहुमत से संविधान को संशोधित कर सकेगे तथा आवश्यकतानुसार संशोधित विलेखो का प्रमाणिकरण करा सकेगे। परन्तु किसी भी दशा मे ट्रस्ट के मूल उद्देश्यों मे संशोधन का अधिकार नही होगा।

२४ ट्रस्ट/संस्थान के नियमो, प्रतिबन्धों कार्यकलाप सम्बन्धित विवरण तथा अन्य प्रावधानों के बारे में शंका उत्पन्न होने पर ट्रस्टी मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा।

अतः स्वस्थ्य चित एवं बुद्धि से सोच व समझकर यह ट्रस्टनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक १४.०६.२०१३

मजमून कर्ता-
Narsingh Bahadur Singh Ad.
civil court Azamgarh

टाईपकर्ता
Umesh Kumar Yadav
उमेश कुमार यादव
दीवानी कचहरी, आजमगढ़

गo. सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री [illegible]
[illegible]
आजमगढ़

रीना देवी

गo राजेश सिंह S/o श्री
हरेन्द्र सिंह ग्राम
उकरौडा तह. सदर
आजमगढ़

1364/015

न.39

Rs 201

स्टा. न. 24

13/6/013

कलीम अहमद ला०न०-327
कलेक्ट्रेट-आजमगढ़

आज दिनांक **14/06/2013** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **144**

पृष्ठ सं. **173** से **204** पर क्रमांक **39**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरिहर राम

उपनिबन्धक सदर

आजमगढ

14/6/2013